

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

### :: नीलामी विज्ञप्ति ::


क्रमांक 662/दो-12-12/78(कैटीननीलामी),

रायसेन, दिनांक 26/03/2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय भवन परिसर रायसेन स्थित कैटीन के संचालन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए ठेका दिया जाना है। अतएव इच्छुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हों वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नज्दर अनुभाग रायसेन में विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यालय समय में उपस्थित होकर निम्न शर्तों का पालन करते हुए अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### :: शर्तें ::

- 1- निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार एग्जीमेंट स्टाम्प पर तीन दिन के अंदर देना होगा।
- 2- कैटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में 23 गुणा 30 फीट के आधार की दी जायेगी।
- 3- ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.03.2020 तक होगी।
- 4- कैटीन में सफाई आदि न होने पर खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि ग्राहक से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने परपर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसात की जावेगी।
- 5- प्राप्त निविदा में जो निवदा अधिकतम होगी उसे स्वीकृत किया जावेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकमुश्त अदा करनी होगी।
- 6- कैटीन में जो खाद्य सामग्री विक्रय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- 7- ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- 8- निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) नगद नज्दर अनुविभाग में जमानत के रूप में जमा करना होंगे। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से इन्कार करेगा तो उसकी जमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी। बिना जमानत राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 9- निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम 4.00 बजे तक जिला नाजिर द्वारा प्राप्त किये जावेंगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदा विचार योग्य नहीं होंगे।
- 10- कैटीन संचालन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह कैटीन की साफ सफाई रखेगा। आज दिनांक 23/3/19 को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई।

  
(संजीव कुमार संख्या)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन

पृष्ठांक / 663/दो-12-12/78(कैटीननीलामी),  
यथा निर्देश प्रतिलिपि :-

रायसेन, दिनांक 26/03/2019.

- 1- प्रभारी अधिकारी नज्दर अनुभाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थल बसस्टैंड, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाध्यक्ष एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर चस्पांगी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

15/11/20

3- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि निलामी विज्ञापि को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित वेबसाईट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करे ।

4- लेखापाल/देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्ते- जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

:: नीलामी विज्ञप्ति ::

क्रमांक: 658 / दो-12-12/78(कंटीननीलामी),

रायसेन, दिनांक 26/03/2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय भवन परिसर बेगमगंज स्थित कंटीन के संचालन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए ठेका दिया जाना है। अतएव इच्छुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हैं वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नजारत अनुभाग रायसेन में विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यालय समय में उपस्थित होकर निम्न शर्तों का पालन करते हुए अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं।

:: शर्तें ::

- 1- निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुरार एग्रीमेंट रटाम्य पर तीन दिन के अंदर देना होगा।
- 2- कंटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में 23 गुणा 30 फीट के आधार की दी जायेगी।
- 3- ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.3.2020 तक होगी।
- 4- कंटीन में सफाई आदि न होने पर खादय सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि ग्राहक से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने परपर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसात की जावेगी।
- 5- प्राप्त निविदा में जो निवदा अधिकतम होगी उसे स्वीकृत किया जावेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकगुस्त अदा करनी होगी।
- 6- कंटीन में जो खादय सामग्री विक्रय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- 7- ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- 8- निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) नगद नजारत अनुविभाग में जमानत के रूप में जमा करना होगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से इन्कार करेगा तो उसकी जमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी। बिना जमानत राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 9- निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम 4.00 बजे तक जिला नाजिर द्वारा प्राप्त किये जावेगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदा विचार योग्य नहीं होंगे।
- 10- कंटीन संचालन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह कंटीन की साफ सफाई रखेगा। आज दिनांक 23.3.19 को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई।


(संजीव कुमार सरैया)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन

पृष्ठांक: 659 / दो-12-12/78(कंटीननीलामी),


रायसेन, दिनांक 26/03/2019

यथा निर्देश प्रतिलिपि :

- 1- प्रमारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थल नसस्टेंड, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाध्यक्ष एवं सार्वजनिक स्थल पर चरपांगी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर अनुभाग कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि नीलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित वेबसाईट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करे।



- 4- प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग, न्यायालय बेगमगंज की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 5- लेखापाल/देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्तु-  जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन